

पत्र संख्या : 7ब/4700 यो० जल सं०-02/2018154

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुददेशीय परियोजना/
मुख्य अभियंता, चाण्डिल/ईचा-गालूडीह सुवर्णरेखा परियोजना ;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 08/02/19

विषय :- मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अंतर्गत योजना मुख्य शीर्ष-4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परियोजना, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-12-ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (केन्द्रांश), विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49C470080789120545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृतिदेश सं०-19/10-11 प्र० स्वी० दिनांक 14.10.2010

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परियोजना के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है

क्र.	मॉग सं./मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष	उप शीर्ष /विस्तृत शीर्ष/ विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परियोजना	80-सामान्य, / 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना,	12-ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (केन्द्रांश), विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49C470080789120545	1.92

आवंटित राशि - ₹ एक लाख बानबे हजार मात्र।

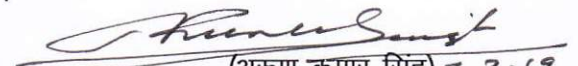
- आवंटित राशि वर्ष 2018-19 के संशोधित बजट उपबंध रु. 12500.00 लाख (एक सौ पच्चीस करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 तथा 2747(वि.), दिनांक-19.09.16 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय विभागीय पत्रांक 1/PMC/कार्य/404/06 (पार्ट III) 19/10-11 प्र० स्वी० दिनांक 14.10.10 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम एवं सक्षम अधिकार द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)(रमेश कुमार दूँडे)
विशेष सचिव(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-1

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित शर्तों से संबंधित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 मार्च, 2019 तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

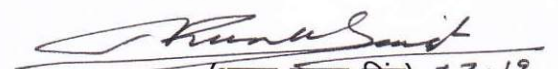

(अरुण कुमार सिंह) 7.2.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 154

राँची, दिनांक :- 08/02/19

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/जमशेदपुर/सरायकेला-खरसौवा/चाईबासा/चाण्डिल/घाटशिला सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(अरुण कुमार सिंह) 7.2.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 154

राँची, दिनांक :- 08/02/19

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव


(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-1


(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

पत्रांक :- 154 दिनांक 08/02/19 का अनुलानक परिशिष्ट-1

माँगा संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष - 4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिचय

उप मुख्य शीर्ष - 80 सामान्य

लघु शीर्ष - 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना,

उप शीर्ष - 12-ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (केन्द्रांश),

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य, विपत्र कोड - 49C470080789120545

संशोधित बजट उपबंध वर्ष 2018-19 में रु० 12500.00 लाख (एक सौ पच्चीस करोड़) मात्र।

(राशि ₹ लाख में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2018 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभियुक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आबंटन	वर्तमान आबंटन	कुल आबंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	लघु वितरणी प्र० सं०-2, चाण्डिल शिविर डिमना, जमशेदपुर (JSRIRR009)	चाण्डिल कॉम्पलेक्स / ईवा-गालूडीह कॉम्पलेक्स	सुवर्णरेखा बहुदंशीय परियोजना	19/10-11 प्र०स्वी., दिनांक-14.10.2010 (Online A.A.1370/08.10.2018)	661374.00	569168.00	400.00	1.92	401.92	88409	पुनर्वास कार्य हेतु।
योग							400.00	1.92	401.92		

आवंटित राशि - ₹ एक लाख बानबे हजार मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-1

(अरुण कुमार सिंह) 7.2.19
अपर मुख्य सचिव